अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2023

सं. 04/2023-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 24(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 492 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

- (i) क्रमांक 2 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "रु. 3.5 प्रति लीटर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 17 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू] अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022 जिसे सा.का.िन. संख्या 492 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2023- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 2 जनवरी, 2023 जिसे सा.का.िन. संख्या 5 (अ), दिनांक 2 जनवरी, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2023

No. 04/2023-Central Excise

G.S.R. 24(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2022-Central Excise, dated the 30th June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 492 (E), dated the 30th June, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) against S. No. 2, for the entry in column (4), the entry "Rs. 3.50 per litre" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 17th day of January, 2023.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

 $AMREETA\ TITUS,\ Dy.\ Secy.$

Note: The principal notification No. 04/2022-Central Excise, dated the 30th June, 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 492 (E), dated the 30th June, 2022, and was last amended *vide* notification No.02/2023-Central Excise, dated the 2nd January, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 5(E), dated the 2nd January, 2023.